न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, परबतसर जिला नागौर राज.

पीठासीन अधिकारी :– शक्तिसिंह भाटी आर.ए.एस.

वाद–पत्र संख्या – 124 / 2012

वादी – 1. रूकमादेवी पत्नी भोलूराम
2. रामनिवास पुत्र भोलूराम
3. ओमेश पुत्र भोलूराम
4. प्रेम पुत्री भोलूराम
5. मनीशा पुत्री भोलूराम
6. सरीता पुत्री भोलूराम
7. रूगनाथराम पुत्र प्रभूराम
8. अमराराम पुत्र प्रभूराम
9. रूपाराम पुत्र प्रभूराम
10.स्वरूपराम पुत्र मगनाराम
11.हरीराम पुत्र प्रभूराम
12.नारायणराम पुत्र मगनाराम
13.छोटीदेवी पत्नी लादूराम
14.श्रवणराम पुत्र लादूराम
15.धासीराम पुत्र लादूराम
16.आशाराम पुत्र लादूराम सभी जाति जाट निवासी कुलीयाणा तहसील परबतसर जिला नागौर राज0

बनाम

प्रतिवादी – 1. तेजाराम पुत्र रामूराम
2. मुकेश पुत्र गोपीराम
3. मंगलाराम पुत्र गोपीराम
4. पांची देवी पत्नी गोपीराम प्रतिवादीगण संख्या 2 व 3 नाबालिग जरिये कुदरती वली माता प्रतिवादी संख्या 4 पांचीदेवी।
5. चन्दा पुत्री गोपीराम
6. संजू पुत्री गोपीराम
7. सुप्यार पुत्री गोपीराम
8. मगनी पत्नी रामूराम प्रतिवादी संख्या 5,6,7 जरिये कुदरती वली माता

उपखण्ड अधिकारी
परबतसर (नागौर)

प्रतिवादी संख्या 4 पांचीदेवी। (प्रतिवादी संख्या 8 फौत)
9.प्रेम पत्नी तेजाराम
10.हेमाराम पुत्र माधूराम सभी जाति जाट निवासीगण कुलीयाणा तहसील परबतसर जिला नागौर राज0
11.स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा बड़ू जरिये मैनेजर।
12.पंजाब नेशनल बैंक शाखा करकेड़ी जरिये मैनेजर।
13.तहसीलदार परबतसर।
14.उप पंजीयक पीलवा।

दावा बाबत इस्तकरार हक, बंटवारा व स्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थित अधिवक्ता – श्री प्रहलाद राम मिर्धा
श्री तिलोकनाथ

दिनांक 11.2.2019

–:: आदेश ::–

वादीगण ने जरिये अधिवक्ता वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रतिवादी संख्या 2 व 3 नाबालिग है उनकी कुदरती संरक्षक माता प्रतिवादी संख्या 4 है जिनका हित एक दूसरे के विरूद्व नहीं है। प्रतिवादी संख्या 5,6,7 नाबालिग है उनकी कुदरती संरक्षक उनकी माता प्रतिवादी संख्या 4 पांचीदेवी है। ग्राम कुलीयाणा की राजस्व सीमा में खसरा नंबर 163 रकबा 22.00 बीधा जिसका बोलता नाम धबेलिया वाला खेत, खसरा नंबर 164 रकबा 8.10 बीधा, खसरा नंबर 165 रकबा 9.08 बीधा, खसरा नंबर 165/1 रकबा 3.05 बीधा, खसरा नंबर 166 रकबा 0.07 गै.मु. बेरा जिसका बोलता नाम बन्दीया है, खसरा नंबर 167 रकबा 8.11 बीधा, खसरा नंबर 168 रकबा 1.06 बीधा, खसरा नंबर 169 रकबा 18.03 बीधा, खसरा नंबर 170 रकबा 13.15 बीधा, खसरा नंबर 171 रकबा 1.00 बीधा गै.मु.ढाणी, खसरा नंबर 202 रकबा 33.13 बीधा देवलीया वाली, खसरा नंबर 213 रकबा 32.08 बीधा आगली हलवाय कुल रकबा 152.05 बीधा स्थित है जिसकी नकल खतोनी व नक्शा पेश है। वादीगण व प्रतिवादीगण 1 से 10 का सिजरा खानदान निम्न प्रकार है जो परिशिष्ट क से दर्शित है जो इस वाद के साथ संलग्न है। दावा के पैरा संख्या 2 में दर्ज जमीन वादीगण की पुश्तेनी व संयुक्त कब्जा काश्त की भूमि थी तथा रामूराम पुत्र मगनाराम दिनांक 10.07.1965 को तदनुसार अषाठ सुदी 12 संवत 2022 को सुजाराम पुत्र समराराम की मृत्यु होने पर सुजाराम की पत्नी मगनी ने रामूराम को पति के रूप में अपने धर पर जाति रिवाज के अनुसार पति बनाकर रख लिया तथा रामूराम ने स्वैच्छा से अपना हक मगनाराम की सम्पति में त्याग कर स्वयं की इच्छा से व सब

उपखण्ड अधिकारी परबतसर नागौर

उपखण्ड अधिकारी
परबतसर (नागौर)

भाईयों की सहमति से सुजाराम पुत्र समराराम की जगह जाकर रह गया तथा इसी रोज से उसका मगनाराम की सम्पति में व खातेदारी भूमि में सारे अधिकार समाप्त हो गये तथा वह सुजाराम पुत्र समराराम की सम्पति पर काबिज हो गया तथा जीवनभर काबिज रहा तथा प्रतिवादी संख्या 1 से 9 उसके उत्तराधिकारी है। रामूराम पुत्र मगनाराम का उपरोक्त जमीन में कोई अधिकार नहीं रहा तथा वह सुजाराम की जगह स्थापित हो गया तथा प्रतिवादी संख्या 1 से 9 रामूराम के उत्तराधिकारी है। उपरोक्त जमीन में रामूराम ने काश्त नहीं की लगान नहीं चुकाया कब्जा नहीं रहा। उपरोक्त जमीन में वादीगण 1 से 6 का 1/8 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 10 का 1/8 हिस्सा, वादीगण 7 से 11 का 1/4 हिस्सा व वादी संख्या 12 का 1/4 हिस्सा व वादीगण संख्या 13 से 16 का 1/4 हिस्सा है।

वादीगण व प्रतिवादी संख्या 10 ने उक्त जमीन को बांट ली है जिसका विवरण वाद पत्र के पैरा संख्या 5 अ,ब,स,द में दिया गया है। वादीगण व रामाराम में विश्वास व प्रेम था इसलिये वादीगण ने खातेदारी अलग–अलग करवाने की जरूरत नहीं समझी लेकिन अब परिवार भी बढ़ गया है तथा शामिल काश्त करना भी संभव नहीं है इसलिये खतौनी की नकले निकलवाई तब उसमे रामाराम का नाम होने से प्रतिवादीगण 1 से 9 से बात की तो पहले तो समुचित जवाब नहीं दिया लेकिन अब प्रतिवादीगण कहते है कि उनका उपरोक्त जमीन में 1/5 हिस्सा है इसलिये जमीन के पांच बंट करवायेगें। वादीगण ने उन्हे समझाया लेकिन वे मानने को तैयार नहीं है तथा धमकी दी है कि रामाराम की जगह फौतगी नामान्तकरण खुलवायेगें क्योंकि उसका नाम है। इसलिये प्रतिवादीगण संख्या 1 से 9 ने वादीगण के अधिकारों को चुनोती दी है तथा उन्होने दिनांक 05.09.2012 को ऐलानियां धमकी दी है किवे 1/5 हिस्सा लेकर रहेगें तथा अपना नाम दर्ज करवाकर जमीन पर कब्जा करेगें। खातेदारी म्यूटेशन दर्ज होने पर अन्य को बैचान कर देगें जिसमें वे अगर सफल हो जाते है तो वादीगण को भारी क्षति होगी क्योंकि दिनांक 10.07.1965 से प्रतिवादीगण का कोई अधिकार नहीं रहा। काश्त नहीं की। लगान नहीं चुकाया। वादीगण ने काश्त की जमीन बांट ली है सुधारी है लगान चुकाया है तथा प्रतिवादीगण का कोई अधिकार नहीं रहा तथा तर्क के लिये मान भी लिया जावे तो उसके अधिकार समाप्त हो गये है तथा वे स्वैच्छा से अपना हक त्याग चुका है। समाज में प्रतिवादीगण संख्या 1 से 9 सूजाराम की सम्पति से काबिज है। राशन कार्ड बना हुआ है। मतदाता सूची में नाम है फिर भी प्रतिवादीगण संख्या 1 से 9 ने वादीगण के अधिकारों को इन्कार कर चेलेन्ज कर चुनोती दी है व बेदखली की व हस्तान्तरण करने की धमकी दी है। विवशतः दावा इस्तकरार हक बंटवारा व स्थायी निषेधाज्ञा पेश है। प्रतिवादी संख्या 8 मगनी अपने पूर्व पति सूजाराम की खातेदारी की कृषि जिसका नामान्तकरण मगनी ने अपने नाम पति के स्वर्गवास के बाद दर्ज करवाया है। अब उस कृषि भूमि को अपने परिवारजन के नाम बैचान क रवह मगनी पत्नी रामूराम की कृषि भूमि में से अपने आपको भूमिहीन बताकर जमीन हथियाने पर आमादा है। प्राईमाफेसी केस वादीगण के हक में है।

उपखण्ड अधिकारी
परबतसर (नागौर)

सुविधा का सन्तुलन वादीगण के पक्ष में है तथा अगर प्रतिवादी के विरूद्व स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है तो उन्हे कोई नुकसान नहीं होगा तथा अगर स्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जाती है तो वादीगण को अपारक्षति होगी। वादीगण नारायणराम, श्रवणराम, धासीराम, आशाराम व छोटीदेवी ने प्रतिवादी संख्या 11 व 12 से ऋृण ले रखा है इसलिये इन्हे पक्षकार बनाया है।

अतः वाद वादी डिक्री किया जाकर राजस्व ग्राम कुलीयाणा तहसील परबतसर के खसरा नंबर 163 रकबा 22.00 बीधा जिसका बोलता नाम धबेलिया वाला खेत, खसरा नंबर 164 रकबा 8.10 बीधा, खसरा नंबर 165 रकबा 9.08 बीधा, खसरा नंबर 165/1 रकबा 3.05 बीधा, खसरा नंबर 166 रकबा 0.07 गै.मु. बेरा जिसका बोलता नाम बन्दीया है, खसरा नंबर 167 रकबा 8.11 बीधा, खसरा नंबर 168 रकबा 1.06 बीधा, खसरा नंबर 169 रकबा 18.03 बीधा, खसरा नंबर 170 रकबा 13.15 बीधा, खसरा नंबर 171 रकबा 1.00 बीधा गै.मु.ढाणी, खसरा नंबर 202 रकबा 33.13 बीधा देवलीया वाली, खसरा नंबर 213 रकबा 32.08 बीधा आगली हलवाय कुल रकबा 152.05 बीधा में वादीगण 1 से 6 का 1/8 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 10 का 1/8 हिस्सा, वादीगण 7 से 11 का 1/4 हिस्सा व वादी संख्या 12 का 1/4 हिस्सा व वादीगण संख्या 13 से 16 का 1/4 हिस्सा के खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा स्व0 रामूराम का नाम राजस्व रेकर्ड से हटाया जावे। उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि का विभाजन वाद पत्र के पैरा संख्या 5 के अनुसार करवाया जाकर बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स अलग होल्डिंग कायम की जावे। प्रतिवादीगण 1 से 9 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वादीगण के कब्जे काश्त खातेदारी अधिकारों के उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की दखलन्दाजी नहीं करें तथा राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखें।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को वास्ते जवाबदेही जरिये समन तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 10 से 14 के विरूद्व बावजूद सूचना हाजिर नहीं होने पर एक पक्षिय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादीगण संख्या 1,2,3,4,5,6,7,10 ने वादीगण के वाद तथ्यों को स्वीकार करते हुए राजीनामा पेश किया है तथा वाद पत्र के पैरा संख्या 13 क,ख,ग के अनुसार वादीगण का वाद डिक्री किये जाने का निवेदन किया है। उपरोक्त जमीन वादीगण की पुश्तेनी जमीन है। रामूराम पुत्र मगनाराम सूजाराम पुत्र समराराम की पत्नी मगनी के पति सूजाराम के निधन पर सूजाराम के स्थान पर चला गया तथा रामूराम का उक्त विवादित जमीन में अब कोई हक हिस्सा कब्जा काश्त नहीं रहा है। रामूराम ने स्वैच्छा से अपना हिस्सा त्याग कर दिया था तथा रामूराम के वारिस प्रतिवादीगण 1 से 9 को सूजाराम के हक हिस्से की जमीन प्राप्त हो चुकी है, मगर उक्त विवादित भूमि की खातेदारी में रामा उर्फ रामूराम का नाम दर्ज रह गया है जिसे हटाया जाकर उक्त विवादित भूमि के वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 10 को खातेदार घोषित किया जावे। विवादित भूमि की नकल खतौनी संवत 2060 से 2063 में उक्त भूमि के माधू, रामा, प्रभू, नारायण, लादू पि0 मगना

उपखण्ड अधिकारी
परबतसर (नागौर)

खातेदारी दर्ज है। लादू फौत होने से वारिस दर्ज हो चुके है। प्रतिवादीगण ने राजीनामा में यह स्वीकार किया है कि उक्त भूमि में उनके पूर्वज रामूराम ने अपना हिस्सा स्वैच्छा से त्याग कर दिया था जिससे अब उक्त भूमि में उनके कोई अधिकार शेष नहीं है। चूंकि उक्त भूमि वादीगण की पुश्तेनी उत्तराधिकार में प्राप्त भूमि है जिसकी घोषणा करवाने के लिये वादीगण मुश्तहक है। अतः माफिक राजीनामा वादीगण का वाद डिक्री किया जाना न्यायोचित है।

अतः वादीगण का वाद माफिक राजीनामा डिक्री किया जाकर राजस्व ग्राम कुलीयाणा तहसील परबतसर के खसरा नंबर 163 रकबा 22.00 बीधा जिसका बोलता नाम धबेलिया वाला खेत, खसरा नंबर 164 रकबा 8.10 बीधा, खसरा नंबर 165 रकबा 9.08 बीधा, खसरा नंबर 165/1 रकबा 3.05 बीधा, खसरा नंबर 166 रकबा 0.07 गै.मु. बेरा जिसका बोलता नाम बन्दीया है, खसरा नंबर 167 रकबा 8.11 बीधा, खसरा नंबर 168 रकबा 1.06 बीधा, खसरा नंबर 169 रकबा 18.03 बीधा, खसरा नंबर 170 रकबा 13.15 बीधा, खसरा नंबर 171 रकबा 1.00 बीधा गै.मु.ढाणी, खसरा नंबर 202 रकबा 33.13 बीधा देवलीया वाली, खसरा नंबर 213 रकबा 32.08 बीधा आगली हलवाय कुल रकबा 152.05 बीधा में वादीगण 1 से 6 का 1/8 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 10 का 1/8 हिस्सा, वादीगण 7 से 11 का 1/4 हिस्सा व वादी संख्या 12 का 1/4 हिस्सा व वादीगण संख्या 13 से 16 का 1/4 हिस्सा के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है तथा स्व0 रामूराम का नाम राजस्व रेकर्ड से हटाया जावे। इसी अनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावे। डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 11.02.2019 को मेरे द्वारा हस्ताक्षर किया जाकर मजमे आम में सुनाया गया।

(शक्ति सिंह भाटी)
उपखण्ड अधिकारी,
परबतसर (नागौर)

उपखण्ड अधिकारी
परबतसर (नागौर)

डिक्री मुकदमां ईब्तदाई (ओ. 20 रूल 6–7 दीवानी)

अदालतः– **उपखण्ड अधिकारी परबतसर, जिला नागौर, राज.**

अज अदालत :– श्री शक्ति सिंह भाटी, आर.ए.एस.

दावा बाबत :– 88, 53, 188 आर.टी.एक्ट 1955

वादी –1. रूकमादेवी पत्नी भोलूराम 2. रामनिवास पुत्र भोलूराम 3. ओमेश पुत्र भोलूराम 4. प्रेम पुत्री भोलूराम 5. मनीशा पुत्री भोलूराम 6. सरीता पुत्री भोलूराम 7. रूगनाथराम पुत्र प्रभूराम 8. अमराराम पुत्र प्रभूराम 9. रूपाराम पुत्र प्रभूराम 10.स्वरूपराम पुत्र मगनाराम 11.हरीराम पुत्र प्रभूराम 12.नारायणराम पुत्र मगनाराम 13.छोटीदेवी पत्नी लादूराम 14.श्रवणराम पुत्र लादूराम 15.धासीराम पुत्र लादूराम 16.आशाराम पुत्र लादूराम सभी जाति जाट निवासी कुलीयाणा तहसील परबतसर जिला नागौर राज0

बनाम

प्रतिवादी –1. तेजाराम पुत्र रामूराम 2. मुकेश पुत्र गोपीराम 3. मंगलाराम पुत्र गोपीराम 4. पांची देवी पत्नी गोपीराम प्रतिवादीगण संख्या 2 व 3 नाबालिग जरिये कुदरती वली माता प्रतिवादी संख्या 4 पांचीदेवी। 5.चन्दा पुत्री गोपीराम 6. संजू पुत्री गोपीराम 7. सुप्यार पुत्री गोपीराम 8. मगनी पत्नी रामूराम प्रतिवादी संख्या 5,6,7 जरिये कुदरती वली माता प्रतिवादी संख्या 4 पांचीदेवी। (प्रतिवादी संख्या 8 फौत) 9.प्रेम पत्नी तेजाराम 10.हेमाराम पुत्र माधूराम सभी जाति जाट निवासीगण कुलीयाणा तहसील परबतसर जिला नागौर राज0 11.स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा बडू जरिये मैनेजर। 12.पंजाब नेशनल बैंक शाखा करकेड़ी जरिये मैनेजर। 13.तहसीलदार परबतसर। 14.उप पंजीयक पीलवा।

मुकदमां नम्बर :– 124/2012

निर्णय दिनांक :– 11.02.2019

यह मुकदमां आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू........बहाजरी वकील वादी मिनजानिब मुदई रूबरू. .....मिनजानिब मुदालह पेश होकर दिया जाता है कि व डिक्री दी जाती हैं कि :–

वादीगण का वाद माफिक राजीनामा डिक्री किया जाकर राजस्व ग्राम कुलीयाणा तहसील परबतसर के खसरा नंबर 163 रकबा 22.00 बीधा जिसका बोलता नाम धबेलिया वाला खेत, खसरा नंबर 164 रकबा 8.10 बीधा, खसरा नंबर 165 रकबा 9.08 बीधा, खसरा नंबर 165/1 रकबा 3.05 बीधा, खसरा नंबर 166 रकबा 0.07 गै.मु. बेरा जिसका बोलता नाम बन्दीया है, खसरा नंबर 167 रकबा 8.11 बीधा, खसरा नंबर 168 रकबा 1.06 बीधा, खसरा नंबर 169 रकबा 18.03 बीधा, खसरा नंबर 170 रकबा 13.15 बीधा, खसरा नंबर 171 रकबा 1.00 बीधा गै.मु.ढाणी, खसरा नंबर 202 रकबा 33.13 बीधा देवलीया वाली, खसरा नंबर 213 रकबा 32.08 बीधा आगली हलवाय कुल रकबा 152.05 बीधा में वादीगण 1 से 6 का 1/8 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 10 का 1/8 हिस्सा, वादीगण 7 से 11 का 1/4 हिस्सा व वादी संख्या 12 का 1/4 हिस्सा व वादीगण संख्या 13 से 16 का 1/4 हिस्सा के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है तथा स्व0 रामूराम का नाम राजस्व रेकर्ड से हटाया जावे। इसी अनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावे।

समक्ष मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 11.02.2019 को जारी की गई।

मुहर

दस्तखतः

ओहदा : उपखण्ड अधिकारी परबतसर

(मुहर: उपखण्ड अधिकारी परबतसर नागौर)

उपखण्ड अधिकारी परबतसर (नागौर)

मुदई	रूपये	पैसे	मुदायलह	रूपये	पैसे
स्टम्प अर्जीदावा	–	–	स्टम्प अर्जीदावा	–	–
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गाहान		
खर्चा गाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरीक		
मुतफरीक					
मीजान	–	–	मीजान	–	–

उपखण्ड अधिकारी
परबतसर (नागौर)